पत्रांकः 13प/प्रशिक्षण–03–01/2026/ 09 (५९०) /पं.रा.

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/5/26

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹33,00,000.00 (तैंतीस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–5749 दिनांक 24.09.2020 द्वारा बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी को बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसके तहत राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) का संचालन किया जा रहा है।

2. राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना मद से **₹33,00,000.00 (तैंतीस लाख रूपये)** मात्र की राशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नरूपेण बजट शीर्ष से किया जायेगा:–

क्र०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	राशि (रूपये में)
i)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष– 0115– बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था। विपत्र कोड–16–2515001010115	0115–31–06	33,00,000.00
Total (A)			**33,00,000.00**

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में CFMS के माध्यम से कर बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI), पटना के पी0एल0 खाता संख्या PBBPLA030 में अंतरित करेंगे।

5. परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI), पटना इस राशि का उपयोग राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन, शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तिकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन एवं परियोजना का प्रबंधन, सूचना प्रावैधिकी एवं समन्वयन, आदि के भुगतान पर किया जायेगा। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार विहित प्रपत्र में ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

कृ0पृ0उ0

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है।

7. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

8. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–13प/प्रशिक्षण–03–01/2026 के पृष्ठ सं0–....09... पर दिनांक 11/05/26 को प्राप्त है।

9. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं0–13प/प्रशिक्षण–03–01/2026 के पृष्ठ सं0–...10 पर दिनांक 14/05/26 को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

18/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः13प/प्रशिक्षण–03–01/2026/09(अ)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/5/26

प्रतिलिपिः सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः13प/प्रशिक्षण–03–01/2026/09(अ)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/5/26

प्रतिलिपिः परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः13प/प्रशिक्षण–03–01/2026/09(अ)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/5/26

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी 05 एवं 06/प्रशाखा पदाधिकारी–05 एवं 06/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः13प/प्रशिक्षण–03–01/2026/09(अ)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/5/26

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

18/5/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव